न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 225 RTA 2023-033 (GCMS 2023-83)

1. पूंजाराम पुत्र मानाराम जाति दर्जी
2. संतोष कुमार पुत्र रेवतराम जाति दर्जी
3. पप्पु सोलंकी पुत्र रेवतराम जाति दर्जी
4. गंगादेवी पत्नी रेवतराम जाति दर्जी
5. अनोपाराम पुत्र मानाराम जाति दर्जी
6. आसुराम पुत्र मानाराम जाति दर्जी
   निवासीगण ग्राम बालेसर दुर्गावता,
   तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. शंकरराम पुत्र रुगाराम जाति प्रजापत
2. ओमाराम पुत्र चनणाराम जाति प्रजापत
3. नेमाराम पुत्र चनणाराम जाति प्रजापत
4. भंवरलाल पुत्र चनणाराम जाति प्रजापत
5. मगाराम पुत्र चनणाराम जाति प्रजापत
6. कानाराम पुत्र विशनाराम जाति प्रजापत
7. रेंवतराम पुत्र विशनाराम जाति प्रजापत
8. राणाराम पुत्र विशनाराम जाति प्रजापत
9. हुकमाराम पुत्र विशनाराम जाति प्रजापत
10. हडमानराम पुत्र लूम्बाराम जाति प्रजापत
    सभी निवासी ग्राम मीठीबेरी, बालेसर
    तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
11. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार बालेसर
    तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 25 जनवरी 2023 राजस्व विविध प्रकरण संख्या 60/2022 अनवान पूंजाराम व अन्य बनाम शंकरराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 20 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 60/2022 अनवान पूंजाराम व अन्य बनाम शंकरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 25 जनवरी 2023 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 06 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर स्थित आराजी खसरा संख्या 1025 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1026 रकबा 0.6556 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1040 रकबा 0.3624 हैक्टेयर बाबत वादी-अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत विभाजन, खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया और साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात बाबत स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20 जून 2022 को प्रकरण संस्थित किया जाकर वादीगण-अपीलाण्ट्स (प्रार्थीगण) की एकपक्षीय सुनवाई कर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी और प्रतिवादीगण-रेस्पो. (अप्रार्थीगण) को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिन्होंने उपस्थित होकर दिनांक 16 अगस्त 2022 को उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश किया और इसके बाद विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की सुनवाई की गयी और पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अपास्त करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 जनवरी 2023 को पारित किया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से यह भलीभांति सिद्ध कर दिया गया था कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट्स के पूर्वजों द्वारा पूर्व खातेदार से विधिवत बेचान दस्तावेज दिनांक 30 मई 1974 के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है जिसमें अपीलाण्ट्स के रहवासीय मकान, पानी का टांका आदि बने हुए है तथा अन्य खाली भूमि पर वक्त खरीद से काश्त की जाती रही है। वादग्रस्त आराजी बाबत बिजली पानी के कनेक्शन भी अपीलाण्ट के नाम से लिये हुए है। प्रतिवादी-रेस्पो. वादग्रस्त आराजियात से अपीलाण्ट्स को बलपूर्वक जबरन बेदखल करने पर आमदा है और इस संबंध में पुलिस थाना बालेसर में प्रकरण भी अपीलाण्ट संख्या एक के पुत्र की ओर से दर्ज करवाया गया है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों एवं बेचान दस्तावेज पर समुचित गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 1026 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा में से मात्र 10 बिस्वा भूमि पर ही अपीलाण्ट्स का कब्जा है बकाया 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण-रेस्पो. के कब्जा काश्त एवं उपयोग-उपभोग की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण के रहवास व पक्का निर्माण है और पशुओं का बाडा आदि है। विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स का दावा इकरारनामा पर आधारित है और इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में दावा चलने योग्य नहीं है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट्स ने एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अनुतोष चाहा है, जबकि न तो मौके पर अपीलाण्ट्स का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा है और न ही मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जा सकती है। बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि अप्रार्थीगण-रेस्पो. के पूर्वजों द्वारा दिनांक 30 मई 1974 को अथवा अन्य किसी समय कभी भी आराजी खसरा संख्या 1025 या खसरा संख्या 1026 अथवा खसरा संख्या 1040 की भूमि का बेचान प्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में नहीं किया, प्रार्थीगण के पूर्वज सिलाई का काम करते थे और उनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

याचना पर रहवास के लिए ढाणी बनाने हेतु अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा 10 बिस्वा भूमि दी गयी थी, जहॉ पर प्रार्थीगण के रहवासीय ठांव बने हुए है। बकाया सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से भी मौके की वस्तुस्थिति स्पष्ट होती है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजियात अपने पूर्वजों द्वारा बेचान दस्तावेज दिनांक 30 मई 1974 को अप्रार्थीगण के पूर्वजों से कय कर कब्जा प्राप्त करना जाहिर करते हुए प्रस्तुत किया गया, जबकि अप्रार्थीगण के अनुसार उक्त तथाकथित बेचान दस्तावेज दिनांक 30 मई 1974 मात्र इकरारनामा है जिसके आधार पर राजस्व न्यायालय में दावा चलने योग्य ही नहीं है। इसके अलावा अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात का बेचान किये जाने के तथ्य का भी खण्डन किया। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में मानते हुए दिनांक 20 जून 2022 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। इसके बाद दिनांक 16 अगस्त 2022 को अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर विरोध किया गया और मौके पर मात्र 10 बिस्वा भूमि पर ही प्रार्थीगण का कब्जा होना जाहिर किया। इस पर दिनांक 07 नवम्बर 2022 को प्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया गया, जिसका अप्रार्थीगण की ओर से कोई विरोध नहीं किये जाने पर उक्त प्रार्थनापत्र उसी दिन स्वीकार कर लिया गया। किन्तु मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के पूर्व ही स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। यह सही है कि एडवर्स पजेशन तथा बेचान दस्तावेज दिनांक 30 मई 1974 के संबंध में मूल वाद में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिवत कार्यवाही कर तनकियात कायम करने एवं पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद ही विवेचन कर पक्षकारान के हक-हकूक एवं स्वत्वों का विनिश्चयन किया जाना है, किन्तु जब मौके की वस्तुस्थिति अभिलेख पर लिये जाने बाबत मौका रिपोर्ट तलब किये जाने बाबत प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया, तो उस स्थिति में विधिवत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मौके की वस्तुस्थिति अभिलेख पर लिये जाने के पूर्व ही अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20 जून 2022 खारिज किया जाना अदालत हाजा की विनम्र राय में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 जनवरी 2023 खारिज किया जाकर विचारण न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विधिवत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का आगामी दो माह की अवधि में विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे। तब तक वादग्रस्त आराजियात बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की आज दिनांक की स्थिति यथावत रखी जावे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि अग्रिम कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04 अगस्त 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर